IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(ORIGINAL JURISDICTION)

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 AND IN THE MATTER OF M/ S. FERTILISERS CORPORATION INDIA LTD. IN

C. P. N. 183/2004

ADVERTISEMENT OF NOTICE TO SECURED/UNSECURED CREDITORS TO PROVE THEIR CLAIMS

Notice is here by given to the creditors of the above named company whose dues are upto Rs. One lac. that they are required to submit to the official liquidator of the court proof of their respective debts or claims against the above named company by delivering at the office of the official liquidator on or before 15.03.2007 or sending by post to the official liquidator so as to reach him not later than the said date with an Affidavit in support of their claims on a non judicial stamp paper in form no. 66 of companies (court) Rules, 1959 along with original documents proving their debts or claims any title to priority Under Section 529-A & 530 of the companies Act, 1956. Any creditors who fails to submit his/her Affidavit or proof of his/her debt within the time frame mentioned above will be excluded from the benefits of any distribution of dividend before his/her debt is proved or as the case may be from objecting to such distribution.

Any creditors who has sent in his/her proof so required by notice in writing from the Official Liquidator, shall either in person or by his/her advocate attend the investigation of such debt or claim at such time and place as shall be specific in such notice and shall produce such further evidence of his/her debt or claim as may be required.

(A. K. CHATURVEDI)
OFICIAL LIQUIDATOR.
HIGH COURT OF DELHI
A-2, W-2, CURZON ROAD,BARRACKS,
K. G. MARG. NEW DELHI-110001

Date: 09.02.2007 K. G. MARG, NEW DELHI-110001
Place: New Delhi PH.: 011-23389507, 23388405



नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय में (मूल क्षेत्राधिकार)

कंम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में एवं मैसर्स फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (इंडिया) लि. के मामले में सी.पी. नं. 183/2004 अपने दावे को साबित करने के लिए

> प्रतिभूत एंव अ-प्रतिभूत ऋणदाताओं के लिए सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा उक्त नामित कम्पनी के उन सभी ऋणदाताओं को जिनकी लेनदारी रूपये एक लाख तक है, को सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिल्ली के शासकीय समापक के पास उक्त कम्पनी के खिलाफ अपना दावा या अपना संबंधित ऋण साबित करने हेतू 15.03.2007 को या इससे पहले शासकीय समापक के कार्यालय में जमा करा दें अथवा डाक द्वारा भेज दे जो उक्त अवधि के अंदर पहुँच जाए जिसके साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 ए एवं 530 के तहत दावा या कोई हक या अपना ऋण साबित करने सबंधी मूल दस्तावेज के साथ कंपनी (कोर्ट) नियम, 1959 के फार्म न. 66 में गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर अपने दावे के समर्थन में एक शपथ पत्र रहना चाहिये। कोई भी ऋण दाता जो उक्त निधारित समय के अन्दर अपने ऋण का प्रमाण या शपथ पत्र जमा कराने में विफल रहेंगे, उनका ऋण प्रमाणित होने से पहले किसी प्रकार के लाभांश वितरण के लाभ से वंचित रहेंगे या ऐसे वितरण की आपत्ति से जैसी भी परिस्थिति उत्पन्न होगी।

कोई भी ऋणदाता जो शासकीय समापक, दिल्ली की लिखित सूचना मिलने पर आवश्यक प्रमाण भेजे हुए होंगे वे स्वयं या अपने एडवोकेट के माध्यम से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि व स्थान पर इस ऋण या दावे की जांच—पड़ताल में शामिल हो सकते हैं और जो भी जरूरी हों, अपने दावे या ऋण का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

> (ए.के चतुर्वेदी) शासकीय समापक दिल्ली उच्च न्यायालय ए—2, डब्ल्यू—2, कर्जन रोड, बैरक्स, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली—110001 फोन नं. 011—23389507 / 23388405

दिनाँक : 09.02.2007 स्थान : नई दिल्ली